


छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर  
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 18/6/2018

क्र. 757/एफ 2018-04-04207/स्था./चार :: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-5/2011/1-8, दिनांक 23.5.2018 के द्वारा श्री रामरतन बांधे को उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (पेंशन सेल), नया रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार मुख्य मंत्री सहायता कोष, नया रायपुर में पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 314/314/2018/स्था./चार, दिनांक 7.3.2018 के द्वारा श्री रामरतन बांधे, वित्त अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर की पदस्थापना एवं अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश निरस्त मान्य किया जाता है।

2. शेष आदेश यथावत बने रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


  
18/6/2018  
(प्रेमा गुलाब एक्का)  
अवर सचिव

पृ. क्र. 758/एफ 2018-04-04207/स्था./चार,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 18/6/2018

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राज भवन, सचिवालय, रायपुर
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय/वित्त विभाग/स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
04. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
05. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय/लोक शिक्षण/मुद्रण तथा लेखन सामग्री/वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को सूचनार्थ
06. कुल सचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर
07. प्रभारी अधिकारी, संचालनालय, राष्ट्रीय छात्र सेना (राज्य कोष), छत्तीसगढ़, डूंगाजी कालोनी, रायपुर
08. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, नया रायपुर
09. संबंधित अधिकारी \_\_\_\_\_
10. आदेश फोल्डर हेतु

\_\_\_\_\_ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
18/6/2018  
अवर सचिव